न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 06.05.2015

दावा संख्या 14/15

भागीरथ पुत्र श्रीलाल उम्र 55 वर्ष जाति किराड निवासी समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राज0 वादी

बनाम

1–रघुवीर पुत्र रतनलाल जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

2–राजू पुत्र रघुवीर जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

3–लक्ष्मीचंद जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राज0

प्रतिवादीगण

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय–दिनांक 19.05.2025

उपस्थित–

वादी की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

वाद के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त में मौजा ग्राम महोदरा ख0नं0 315/1 रकबा 6.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त आराजी को विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादी विवादित आराजी पर निरंतर काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने पत्थर कोट भी करवा रखा है। प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 झगडालू प्रवृति के प्रभावशाली ताकतवर व्यक्ति हैं, जो जबरन ताकत के बल पर वादी की विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहता है। दिनांक 30.04.2015 को प्रतिवादी 1 ता 3 ट्रेक्टर लेकर विवादित आराजी पर आये और जबरन पत्थर कोट हटाकर हांकने का प्रयास किया, वादी ने रोका व मना किया तो वे झगडा करने पर आमादा हो गये और वादी को धमकी दी है कि हम तो उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करके रहेंगे यदि तूने मना किया तो जान से मार देंगे। यदि प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 अपनी उक्त धमकी व कृत्य में कामयाब हो गये तो वादी को अपनी खातेशुदा भूमि से हाथ धोना पडेगा, जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा। इस कारण वादी [illegible] खिलाफ प्रतिवादी 1 ता 3 स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार एवं नालिशी हक है। [illegible] प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण [illegible] किया गया। प्रतिवादीक्रम 1 ता 3 की ओर से जबाव पेश किया गया कि विवादित आराजी का स्थि[illegible] स्वीकार है। वादी वाद की मद नंबर 2 असत्य व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने वादी की वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही ऐसा करने का कोई प्रयास किया है। सत्यता यह है कि ख0नं0 315 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:30:44 IST
Reason: SelfAttested

19.05.2025

उपखण्ड अधिकारी

लगवां प्रतिवादीगण की खातेशुदा भूमि ख0नं0 314/900 रकबा 5.19 बीघा ख0नं0
318/899 रकबा 5.01 बीघा ख0नं0 321 रकबा 10.05 बीघा किता 3 कुल 21.05
बीघा स्थित है जिस पर आने जाने हेतु ख0नं0 314 तथा ख0नं0 315 की मेढ पर
होकर प्रतिवादीगण का सदैव का रास्ता स्थित है, जो सिवायचक सरकारी भूमि में
स्थित है, इसी रास्ते से होकर प्रतिवादीगण कृषि कार्य हेतु अपनी उपरोक्त खातेशुदा
भूमि पर आते जाते है परन्तु वादी ने प्रतिवादीगण के उपरोक्त रास्ते को पत्थर कोट
रखकर बन्द कर दिया अन्य कोई रास्ता नहीं है जिस पर प्रतिवादीगण ने बन्द रास्ते
को खुलासा कराने की कार्यवाही तहसीलदार साहब शाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत की।
जिस पर हल्का पटवारी आई0एल0आर0 तथा नायब तहसीलदार केलवाडा द्वारा
तहसीलदार शाहाबाद के आदेश से मौके पर पूर्ण जांच व तहकीकात पश्चात ख0नं0
314 की 1.11 बीघा तथा ख0नं0 315 की 39.18 बीघा सिवायचक भूमि पर स्थित
बन्द रास्ते को खुलासा कराया गया हैं। इसी से चिडकर वादी ने सवर्था मिथ्या तथ्यों
के आधार पर यह वाद पेश किया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। मद नंबर 3
नितान्त असत्य एवं मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 30.04.15
को अथवा किसी भी दिन वादी के कब्जेकाश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं किया सत्यता
यह है कि वादी ने अपनी खातेशुदा आराजी ख0नं0 315/1 रकबा 6.00 बीघा के
लगवां खाली पडी सिवायचक भूमि ख0नं0 315 पर अतिचार कर हांक दी तथा
प्रतिवादीगण के सदैव के रास्ते को बंद कर दिया जिसे हल्का पटवारी
आई0एल0आर0 तथा नायब तहसीलदार केलवाडा द्वारा तहसीलदार शाहाबाद के
आदेश से मौके पर पूर्ण जांच व तहकीकात पश्चात हटवाकर रास्ता खुलाशा करा
दिया है। वाद नाजायज परेशान करने के लिये पेश किया है जो निरस्त किये जाने
योग्य है। वादी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर फौजदारी प्रकरण प्रतिवादीगण के
विरूद्व दर्ज कराया जिसमें एफ आर लग चुकी है। मद नंबर 4 अस्वीकार है तथा मद
नंबर 5 व 6 कानूनी है। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने की कृपा
करें।

वादी की ओर से साक्ष्य में पी डबलू 1 भागीरथ, पी डबलू 2 लखनलाल के बयान
कराये गये तथा नकल जमाबंदी ग्राम महोदरा सम्वत 2067–70 खाता संख्या 407
प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2 तथा नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 को पेश किया।
प्रतिवादीगण की ओर से डी डबलू 1 रघुवीर, डी डबलू 2 वीरेन्द्रसिंह के बयान कराये
तथा नकल जमाबंदी [illegible] 2067–70 प्रदर्श डी 1, मौका रिपोर्ट प्रदर्श
डी 2, नक्शा प्रदर्श डी 3, प्रथम [illegible]र्ट प्रदर्श डी 4, एफ आर प्रदर्श डी 5,
भू0अ0नि0 समरानि[illegible] मौका रिपोर्ट [illegible] डी 6 तथा [illegible]शा मौका प्रदर्श डी 7 को
पेष किया गया।

वहस सुनी गई, पत्रावली का अव[illegible]कन किया गया। वादी का कथन है कि
प्रतिवादीगण उसके खाते की आराजी ख0नं0 315/1 रकबा 6.00 बीघा पर जबरन
कब्जा करना चाहते हैं, जिन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इसके विपरीत
प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी की विवादित आराजी से उनका कोई लेना देना

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:30:44 IST
Reason: SelfAttested

19.05.2025
उपखण्ड अधिकारी

नहीं है बल्कि वादी ने उनके सदैव के रास्ते को जो ख0नं0 314 व 315 की मेढ से होकर निकलता है, बंद कर दिया जिसे तहसीलदार के आदेश से खुलाशा करा दिया गया है। वादी प्रदर्श 1 जमाबंदी अनुसार आराजी ख0नं0 315/1 रकबा 6.00 बीघा का खातेदार है, जो न्यायालय द्वारा मंगाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 22.04.25 अनुसार 6.00 बीघा रकबे पर काबिज है, जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वादी के खेत की उत्तरी मेढ के सहारे रास्ता है, जिस पर से प्रतिवादीगण अपने खेत की हंकाई जुताई के लिये निकलते हैं, विवाद इसी रास्ते का है, जिसे वादी ने बंद कर दिया था और वादी द्वारा बंद किये गये इस रास्ते को नायब तहसीलदार केलवाडा ने प्रदर्श डी 2 मौका रिपोर्ट अनुसार खुलाशा करा दिया है।

अतः वादी तथा प्रतिवादीगण दोनो को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता है कि वादी अपने खाते की आराजी ख0नं0 315/1 रकबा 6.00 बीघा ग्राम महोदरा की सीमा तक काबिज रहे और प्रतिवादीगण व अन्य काश्तकारों के आने जाने के रास्ता ख0नं0 315 रकबा 39.18 बीघा सिवायचक में कोई हस्तक्षेप, अवरोध अथवा अतिक्रमण नहीं करे तथा प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त की आराजी ख0नं0 315/1 रकबा 6.00 बीघा में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

19.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:30:44 IST
Reason: SelfAttested